1-6-22	पत्रावली प्रस्तुत। श्री रतनलाल कुमावत वकील अपीलार्थी एवं श्री चन्द्रकला उपाध्या वकील संस्थान 1 से 10 उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा अपील में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से अस्त अपील को Not Press में खारिज करना चाहते हैं। अतः अपील सं TA 14/2016 में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आगे कार्यवाही नहीं चाहने से Not Press में खारिज की जाती है। पत्रावली पैंडिंग रोस्टर नम्बर से कम की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी	अपीलार्थी नहीं पाये गये रतनलाल अ रतनकुमावत